न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1123 / 2024

अनवान : –

1. जयलाल पुत्र सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. गंगाराम पुत्र सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
2. मालचन्द पुत्र सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
3. लालचन्द पुत्र सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
4. गंगाबाई पुत्री सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
5. जीवण पुत्री सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
6. मीरा पुत्री सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
7. जग्गो देवी पुत्री सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
8. धापी देवी पुत्री सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
9. विजय कुमार पुत्र रेशमा पुत्री सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
10. अशोक कुमार पुत्र रेशमा पुत्री सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
11. पुनम पुत्री रेशमा पुत्री सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
12. सुमन पुत्री रेशमा पुत्री सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
13. आरती पुत्री रेशमा पुत्री सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
14. गीता पुत्री रेशमा पुत्री सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 01/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के खाता स0 155 / 151 की कुल 4.2110 हैक्ट भूमि में से 1 / 11 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के खाता स0 194 / 190 के ख0न0 397 की 9.7620 हैक्ट भूमि में 230 / 4881 हिस्सा भूमि [illegible] सुखाराम जाति सांसी साकिन चैनपुरा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:42:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिन्गारी पत्नी सुखाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी की माता है। सिन्गारी पत्नी सुखाराम का स्वर्गवास हो चुका है। अ सिन्गारी पत्नी सुखाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 है एवं सिन्गारी की एक पुत्री रेशमा का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 14 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 8 जो की वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की बहिन है व प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 14 भान्जा व भानजी है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 14 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 काबिज है, जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 14 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 15 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य वाद से संबंधित नवीनतम जमाबंदीया, मृत्यु प्रमाण सिन्गारी व रेशमी व शपथ पत्र बाबत सदस्य दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिन्गारी पत्नी सुखाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी की माता है। सिन्गारी पत्नी सुखाराम का स्वर्गवास हो चुका है। अ सिन्गारी पत्नी सुखाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 है एवं सिन्गारी की एक पुत्री रेशमा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:42:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 14 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 8 जो की वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की बहिन है व प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 14 भान्जा व भानजी है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 14 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 काबिज है प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के खाता स0 155/151 की कुल 4.2110 हैक्ट भूमि में से 1/11 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के खाता स0 194/190 के ख0न0 397 की 9.7620 हैक्ट भूमि में 230/4881 हिस्सा भूमि सिन्गारी पत्नी सुखाराम जाति सांसी साकिन चैनपुरा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिन्गारी पत्नी सुखाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी की माता है। सिन्गारी पत्नी सुखाराम का स्वर्गवास हो चुका है। अ सिन्गारी पत्नी सुखाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 है एवं सिन्गारी की एक पुत्री रेशमा का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 14 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 8 जो की वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की बहिन है व प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 14 भान्जा व भानजी है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 14 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक सिन्गारी के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वादी अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:42:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के खाता स0 155/151 की कुल 4.2110 हैक्ट भूमि में से 1/11 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के खाता स0 194/190 की 9.7620 हैक्ट भूमि में 230/4881 हिस्सा भूमि में सिन्गारी पत्नी सुखाराम का नमा कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:42:09 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1123/2024

अनवान : –

1. जयलाल पुत्र सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. गंगाराम पुत्र सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
2. मालचन्द पुत्र सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
3. लालचन्द पुत्र सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
4. गंगाबाई पुत्री सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
5. जीवण पुत्री सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
6. मीरा पुत्री सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
7. जग्गो देवी पुत्री सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
8. धापी देवी पुत्री सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
9. विजय कुमार पुत्र रेशमा पुत्री सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
10. अशोक कुमार पुत्र रेशमा पुत्री सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
11. पुनम पुत्री रेशमा पुत्री सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
12. सुमन पुत्री रेशमा पुत्री सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
13. आरती पुत्री रेशमा पुत्री सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
14. गीता पुत्री रेशमा पुत्री सुणाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1123 सन 2024 निर्णय दिनांक 01/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जाशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के खाता स0 155/151 की कुल 4.2110 हैक्ट भूमि में से 1/11 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के खाता स0 194/190 की 9.7620 हैक्ट भूमि में 230/4881 हिस्सा भूमि में सिन्गारी पत्नी सुखाराम का नमा कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:42:09 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर